सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/98 दर्ज तिथिः–03.09.2024

1. पृथ्वीराज चारण उर्फ गणेशदान पुत्र किशनदान उर्फ किशनदान चारण जाति चारण निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री शिव सिंह राठौड़
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 200 तादादी 4.4263 हैक्ट. व खसरा नं. 203 तादादी 2.3396 हैक्ट. व 308/103 तादादी 0.7714 हैक्ट कुल किता 3 कुल तादादी 7.5373 हैक्ट. वाके रोही धीरासर चारणान पटवार हल्का जासासर भू.अ.नि. नाकरासर तहसील व जिला चूरू में वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का 1/24 हिस्सा विरासतन चला आ रहा है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम विरासतन इंतकाल संख्या 683 के द्वारा दर्ज हुआ है जिस समय वादी नाबालिग था जिसे उक्त इंतकाल की प्रविष्टियों का ज्ञान नहीं था विरासतन इंतकाल के समय पंचायत द्वारा वादी के दस्तावेजों की जांच किये बिना वादी का नाम बोलचाल की भाषा के अनुसार गणेशदान पुत्र किशनदान दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का उसके अन्य समस्त दस्तावेजों में पृथ्वीदान चारण पुत्र किशनदान चारण दर्ज है जिसे दुरूस्त करवाया जाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादी की वादगत कृषि भूमि में सहवनिय भूल वश पंचायत द्वारा विरासतन इंतकाल के समय गणेशदान पुत्र किशनदान नाम दर्ज कर दिया गया इस संबंध में पंचायत द्वारा वादी से किसी प्रकार के दस्तावेजात नहीं लिए गये ना ही पंचायत द्वारा इस बाबत कोई जांच की गई जबकि वादी का उसके अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, मजदूर कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड [illegible] एवं आधार कार्ड में पृथ्वीदान चारण पुत्र किशनदान चारण दर्ज है जिसके मुताबिक ही वादी अपने राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाना चाहता है उक्त दोनों नाम वादी के ही है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है प्रमाण स्वरूप उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न दावा हाजा की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा गया कि वह उसके नाम को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करें किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा टालमटोल किया जाता रहा अन्त में दिनांक 21.08.2024 को वादी को राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया यही तारीख मुखास्मत दावा है जिस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह श्रीमान के समक्ष चाराजोवी करें।

प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं नाही वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष में प्रतिवादी संख्या 1 के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जिस कारण दावाहाजा बिना 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना ही पेश किया जा रहा है प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य से ही वादी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम का शुद्धिकरण होना है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार बनाया गया है वादगत कृषि भूमि के अन्य खातेदारान से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है वादी के अनुतोष से अन्य खातेदारान के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस कारण अन्य खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

वादी पृथ्वीराज चारण उर्फ गणेशदान पुत्र किशनदान उर्फ किशनदान चारण जाति चारण निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू (राज.) का कूल निवासी होने के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी के खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे

जरिये डिक्री कृषि भूमि खसरा नं. 200 तादादी 4.4296 हैक्ट. खसरा संख्या 203 तादादी 2.3396 हैक्ट. खसरा संख्या 308 / 103 तादादी 0.7714 हैक्ट. कुल किता 3 कुल तादादी 7.5373 हैक्ट. रोही मोजा धीरासर चारणान पटवार हल्का जासासर भू.अ.नि. क्षेत्र नाकरासर तहसील व जिला चूरू की सरहद में स्थित है जिसमें वादी का 1/24 हिस्सा विरासतन चला आ रहा है में दर्ज वादी का नाम गणेशदान पुत्र किशनदान जाति चारण निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू के स्थान पर वादी का नाम पृथ्वीदान चारण पुत्र किशनदान चारण जाति चारण निवासी धीरासर चारणान तहसील व जिला चूरू घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वादीगण की ओर से दावा व मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त खसरा नं. में मेरा नाम रिकॉर्ड गणेशदान पुत्र किशनदान दर्ज है जबकि मेरे अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, चुनाव पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक, शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में पृथ्वीदान चारण पुत्र किशनदान चारण दर्ज है।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार राज से रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर तहसीलदार चूरू की ओर से रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस वादी अधिवक्ता द्वारा दावे में अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादीगणों को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादी का सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया अधिवक्ता वादी द्वारा दावे में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वाद साक्ष्यों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण डिक्री किया जाना उचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार–I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)